

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}

Letter No- 15/उ० /रसा० अनु० - 12/18 171 /Agri., Patna, Dated 08/03/,2019

Received from **M/s K.P.R. Agrochem Ltd.** a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. **2250** by Treasury Challan bearing number **067 Dated 27-11-18** deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 243 Date.....

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s K.P.R. Agrochem Ltd. Style- Wholesale Dealer	M/s Inva Corporation, Rama Sadan Plot No- 34, Khata no- 76, 2nd Floor, Devistan Road, Near Smart Petrol Pump, Zero Mile, Patna-7 Bihar	M/s Inva Corporation, Rama Sadan Plot No- 34, Khata no- 76, 2nd Floor, Devistan Road, Near Smart Petrol Pump, Zero Mile, Patna-7 Bihar.	1- NPK 20:20:0 2- NPK 15:15:15 3- NPK 17:17:17 4- NPK 19:19:19 5- NPK 14:35:14 6- NPK 10:26:26 7- NPK 22:0:11	Self Manufactured.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:
Mr. T. Sudheer(Sr. Chemist)
M/s K.P.R. Agrochem Ltd.
R/o DN0- 2-60, Rajulapalem, Pedapudi Mandal,
East Godavari, Distt- A.P- 533344

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Memo No....171..... /Agri., Patna, Dated 08/03/ 2019

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

06.03.19

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

(116)
(31)

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या-- 15/उ0/रसा0 अनु0-- 12/2018 /कृ0, पटना, दिनांक , 2019

कार्यालय आदेश

मे0 के0पी0आर एग्रोकेम लि0 के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 243 दिनांक 08/02/2019 वैधता तिथि 02/02/2022 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ मे निम्न निदेश दिए जाते हैं :—

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेगें।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/—

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 172 दिनांक : 08/03/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक (शध्य), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरको का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

08.03.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।